



Neutral Citation No. 2026:AHC-LKO:42375

इलाहाबाद उच्च न्यायालय**लखनऊ****दांडिक प्रकी. जमानत आवेदन सं. - 3496 वर्ष 2026**

गौरव अवस्थी

.... आवेदक (गण)

बनाम

उ. प्र. राज्य द्वारा अपर मुख्य सचिव, गृह,
लखनऊ

..... विरोधी पक्षकार (गण)

आवेदक (गण) के अधिवक्ता	: आमोल कुमार श्रीवास्तव, जय गुप्ता
विरोधी पक्षकार (गण) के अधिवक्ता	: शा.अधि.

न्यायालय सं. - 16**माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रकाश सिंह**

आवेदक के विद्वान् अधिवक्ता और राज्य की ओर से विद्वान् अ.शा.अधि. को सुना।

परिवादिनी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ है।

अभियोजन मामले में, यह आरोप लगाया गया है कि परिवादिनी, एक भवन, स्थित, सेक्टर

14-बी, वृंदावन योजना, लखनऊ खरीदना चाहती थी। सह-अभियुक्त सुनील कुमार शुक्ला

द्वारा उसे भवन सं. 14-बी/218 दिखाया गया था। परिवादिनी और उसके पति ने अभिकथित

रूप से सुनील कुमार शुक्ला को अग्रिम के रूप में रु. 2,00,000 नकद और रु. 1,21,000 चेक

द्वारा भुगतान किया था। अग्रेतर आरोप है कि उस भवन पर सुनील कुमार शुक्ला द्वारा

फॉर्कलैफ्ट फाइनेंशियल सर्विसेज से रु. 60,00,000 का ऋण लिया गया था, जिसमें से रु.

46,00,000 अभी भी बकाया थे। कहा गया है कि सुनील कुमार शुक्ला ने परिवादिनी को

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



सूचित किया था कि बकाया राशि चुकाने के बाद विक्रय-विलेख निष्पादित किया जाएगा ॥

यह भी आरोप है कि सुनील कुमार शुक्ला के कहने पर परिवादिनी ने 31.12.2023 को विपिन शुक्ला के खाते में रु. 41,00,000 अंतरित किए थे। इस भुगतान के बाद भी, जब भवन से संबंधित कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं किए गए थे, तो परिवादिनी ने क्रय करने की कार्यवाही से इन्कार कर दिया था। सह-अभियुक्त सुनील कुमार शुक्ला के सिवाय, वर्तमान अभियुक्त का कोई प्रत्यक्ष कृत्य करना नहीं बताया गया है।

आगे अभिकथन किया गया है कि 31.07.2024 तक, परिवादिनी और उसके पति ने कुल रु. 73,99,911 का भुगतान कर दिया था, फिर भी कोई रजिस्ट्रीकृत विक्रयविलेख निष्पादित नहीं किया गया था। धन-वापस मांगने पर, सुनील कुमार शुक्ला और विपिन शुक्ला ने अभिकथित रूप से विभिन्न दिनांकों पर परिवादिनी को रु. 13,25,000 अंतरित किए थे, और रु. 20,00,000/- प्रत्येक के दो चेक जारी किए थे, जो अनादृत हो गए थे। यह भी अभिकथन किया गया है कि 14.11.2024 को जब परिवादिनी शेष राशि मांगने के लिए सुनील कुमार शुक्ला के घर गई थी, तो उसे धमकी दी गई थी।

आवेदक के विद्वान् अधिवक्ता का निवेदन है कि अभियोजन के अपने मामले के अनुसार भी आवेदक को परिवादिनी या उसके पति से कोई राशि प्राप्त नहीं हुई है। अपराध मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय हैं। यह निवेदित किया गया है कि अभिकथित कृत्य, यदि कोई है, तो वह सह-अभियुक्त सुनील कुमार शुक्ला और विपिन शुक्ला द्वारा किया गया था, और वे दोनों फरार हैं। आवेदक के विरुद्ध एकमात्र आरोप षड्यंत्र से संबंधित है। फॉक्सफाइनैशियल

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

सर्विसेज प्रा.लि.के खाते में प्राप्त रु. 27,41,400 की राशि के संबंध में, निवेदित किया गया

है कि संपूर्ण राशि सर्वेश पांडेय के खाते में अंतरित कर दी गई थी।

अग्रेतर निवेदित किया गया है कि प्र.सूरि.आरंभ में धारा 316(2), भा.न्या.सं. के अधीन दर्ज

की गई थी, किन्तु बाद में अन्वेषण के दौरान इसे धारा 316(5), भा.न्या.सं. में बदल दिया

गया था। सत्र न्यायाधीश, लखनऊ द्वारा 08.04.2025 को जमानत आवेदन सं. 2090 वर्ष

2025 में जमानत अतंगत धारा 316(5), 318(4) और 351(3), भा.न्या.सं. निरस्त कर दी गई

थी। बाद में जोड़ी गई धाराओं में आवेदक का जमानत आवेदन सं. 5018 वर्ष 2025 पर

उसी न्यायालय द्वारा 15.07.2025 को पुनः जमानत खारिज कर दी गई थी। यह भी तर्क

दिया गया है कि संपत्ति कभी भी आवेदक को नहीं सौंपी गई थी, और इसलिए धारा

316(5), भा.न्या.सं. के अधीन कोई अपराध नहीं बनता है। अग्रेतर निवेदित किया गया है

कि आवेदक ने न तो कोई जाली दस्तावेज तैयार किया है और न ही परिवादिनी को कोई

रजिस्ट्रीकृत विक्रय-विलेख दर्शित किया है, और इस प्रकार धारा 338, भा.न्या.सं. के अधीन

कोई अपराध नहीं बनता है। आवेदक के अनुसार, यह विवाद पूर्णतः सिविल प्रकृति का है।

वह 18.4.2026 से अभिरक्षा में है, और क्योंकि आरोप-पत्र दाखिल किया जा चुका है, इसलिए

आवेदक को अभिरक्षा में रखने का कोई उपयोगी प्रयोजन पूरा नहीं होगा।

यह भी निवेदित किया गया है कि जेल से छोड़े जाने के बाद आवेदक के भागने या साक्षियों

के साथ छेड़छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है। यदि आवेदक को जमानत पर छोड़ा जाता है

, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

विद्वान् अ.शा.अधि. ने जमानत आवेदन का विरोध किया है, तथापि, वे इस तथ्य से इन्कार नहीं करते हैं कि आवेदक के विरुद्ध मुख्य आरोप षड्यंत्र का है।

आवेदक द्वारा जेल में बिताई गई अवधि, उसके एकमात्र आपराधिक पूर्ववृत्त के स्पष्टीकरण, यह तथ्य कि वह 18.4.2026 से अभिरक्षा में है, आरोप-पत्र दाखिल किया गया है और अपराध मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है, पर विचार करते हुए, यह न्यायालय आवेदक को जमानत प्रदान करने के लिए इसे एक उपयुक्त मामला पाता है। तदनुसार, जमानत आवेदन अनुज्ञात किया जाता है।

आवेदक गौरव अवस्थी को, जो मुकदमा अपराध सं. 0014 वर्ष 2025, अंतर्गत धारा 316(5), 318(4), 351(3), भा.न्या.सं. (जोड़ी गई धारा 338, 336(3), 340(2), 61(2), भा.न्या.सं.), पुलिस थाना पी.जी.आई., जिला लखनऊ पूर्व (कमिश्नरेट लखनऊ) में सम्मिलित है, संबंधित मजिस्ट्रेट/न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार व्यक्तिगत बंधपत्र और समान राशि दो प्रतिभू, प्रत्येक समान राशि के, प्रस्तुत करने पर, निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर छोड़ दिया जाए:-

- (i) आवेदक अभियोजन साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा;
- (ii) आवेदक अभियोजन साक्षियों पर दबाव नहीं डालेगा;
- (iii) आवेदक विचारण न्यायालय द्वारा नियत की गई प्रत्येक दिनांक पर उपस्थित होगा।

कोई अन्य शर्त भी, जो विचारण न्यायालय/संबंधित न्यायालय मामले की परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त समझे, अधिरोपित की जा सकती है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में किए गए संप्रेक्षण वर्तमान जमानत आवेदन तक ही सीमित हैं और विचारण के गुणावगुण पर इसका कोई प्रभाव नहीं होगा।

जून 30, 2026

एमकेएस

(न्यायमूर्ति श्री प्रकाश सिंह)

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।